INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

PRABHAT GUPTA
SADAR BAREILLY
ACC. CODE UP14260204

Certificate No.	:	IN-UP84865233730891T
Certificate Issued Date	:	15-Jun-2021 11:16 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14260204/ BAREILLY SADAR/ UP-BLY
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14260204575800381609 38T
Purchased by	:	HARROW EDUCATIONAL SOCIETY BAREILLY
Description of Document	:	Article 19 Certificate or other Document
Property Description	:	N/A
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	HARROW EDUCATIONAL SOCIETY BAREILLY
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	HARROW EDUCATIONAL SOCIETY BAREILLY
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

..........Please write or type below this line..........

संस्था हैरो एजुकेशनल सोसाइटी, 193/1 सिविल लाइन बरेली

I-68563

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मण्डल बरेली, (उ०प्र०)

16/6/2021

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

पुनः संशोधित नियमावली

01. संस्था का नाम एवं पता : हैरो एजूकेशनल सोसाइटी
02. संस्था का पता : मुख्य कार्यालय 193/11 सिविल लाइन्स, बरेली

03. सदस्यता

1. संस्था के सदस्य चार प्रकार के होंगे
   आजीवन सदस्य
   पाँच वर्षीय सदस्य
   वार्षिक सदस्य
   संरक्षक सदस्य
2. आजीवन सदस्य वह सदस्य हैं जिन्होंने संस्था शुल्क अदाकर संस्था को स्थापित किया और सर्वप्रथम नियमावली बनाई और उस पर हस्ताक्षर किये और संशोधित स्मृति पत्र और नियमावली मौजूदा बनाकर संस्था के कार्य को आगे दिशा दी।
3. वह सदस्य जो संस्था का शुल्क एक वर्ष का अदा करें और संस्था की प्रबन्ध कारिणी द्वारा सदस्यता प्राप्त करेंगे वार्षिक सदस्य कहलायेंगे। ऐसे ही 5 वर्ष की स्वीकृति पाने वाले सदस्य 5 वर्षीय सदस्य कहलायेंगे।
4. वह सदस्य जो संस्था की प्रबन्धकारिणी द्वारा मनोनीत हो और अपने दायित्व को स्वीकार करें और संस्था के कार्यहित में समय-समय के लिये चयन प्रबन्धकारिणी द्वारा मनोनीत किये जायेंगे और संस्था में संरक्षक सदस्य कहलायेंगे।
5. यह कि सदस्य संस्था की सभी जनरल मीटिंग में सम्मिलित होंगे और संस्था की उन्नति व विकास के लिये मार्गदर्शन व सहयोग देंगे।
6. यह कि संस्था के फैसले सर्वसम्मति से श्रेय करवाये जायेंगे और वोटिंग में आजीवन सदस्य और पाँच वर्षीय सदस्य केवल भाग ले सकेंगे।
7. यह कि सदस्य का स्थान रिक्त तब समझा जायेगा जब सदस्य विशेष अपना त्याग पत्र दे और स्वीकृत हो सदस्य की अनुमन्य क्षमता में दोष आ जाने पर और मृत्यु होने की दशा में अथवा किसी न्यायालय द्वारा सदस्य का संस्था के हितों के खिलाफ और दोषी पाये जाने पर।

04. साधारण सभा :

1. संस्था की साधारण सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य गठित होगी जिसे वार्षिक साधारण सभा कहेंगे।
2. सभा की साधारण बैठक संस्था के मंत्री द्वारा आमंत्रित व संचालित की जायेगी।
3. सदस्य बहुमत से संस्था के मंत्री द्वारा स्वीकृत होने पर अन्य बैठकें आयोजित करवा सकते हैं।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मण्डल बरेली,(उ०प्र०)
16/6/2021

05. **प्रबन्धकारिणी सभा :**

1. संस्था की एक प्रबन्धकारिणी सभा कम से कम नौ सदस्यों की चयन की जावेगी और अपने कार्यकाल तक संस्था की कुल कार्यवाहियों के लिये उत्तरदायी होंगे।
2. संस्था के पदाधिकारी सभा के सदस्यों में होंगे और कार्यकलापों के लिये प्रबन्ध सभा को उत्तरदायी रहेंगे।
3. प्रबन्धकारिणी सभा का दायित्व संस्था के सभी कार्यों की देख–रेख करना और कराना है सभी फैसले बहुमत से होंगे और कार्यान्वित कराने का दायित्व मन्त्री का होगा।
4. प्रबन्धकारिणी सभा की बैठक समय–समय पर मंत्री द्वारा आयोजित की जावेगी बैठक का कोरम कम से कम 6 सदस्यों की उपस्थिति पर पूरा समझा जायेगा।
5. प्रबन्धकारिणी सभा की बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी।
6. संस्था द्वारा संचालित प्रत्येक महाविद्यालय एवं अन्य संस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पृथक प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा । यह गठन सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की परिनियमावली के धारा 37 व 49 (ड) के परिनियम 11.05 में वर्णित प्रावधानों एवं केन्द्र तथा राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप होगा।

06. **पदाधिकारी :**

1. प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्यों में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक मंत्री एवं एक उपमंत्री, एक कोषाध्यक्ष चयन किये जायेंगे जिनका कार्यकाल प्रबन्धकारिणी सभा के कार्यकाल के बराबर होगा बाकी सदस्य मिलाकर प्रबन्धकारिणी सभा की सदस्य संख्या 9 रहेगी। संस्था की प्रबन्धकारिणी सभा का कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा। संस्था की आवश्यकतानुसार पदाधिकारियों एवं सदस्यों की संख्या घटायी बढ़ायी भी जा सकती है।
2. सभा की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और उनकी अनुपस्थिति पर या उनके आदेश पर उपाध्यक्ष उनका दायित्व निभायेंगे।
3. मंत्री सभा का संचालन और संस्था के पूरे कार्य का दायित्व निभायेंगे और उनकी अनुपस्थिति पर या उनके आदेश पर अध्यक्ष उनका दायित्व निभायेंगे।
4. कोषाध्यक्ष संस्था के आय–व्यय व सम्पत्ति सरमाया पर अपनी देखरेख रखेंगे।
5. संस्था के मंत्री के दायित्व निम्न प्रकार होंगे
   अ. संस्था के अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति और उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही का अधिकार व सेवामुक्त करने का अधिकार संस्था के मंत्री का होगा।
   ब. संस्था के सभी कार्यकर्ता, कर्मचारी अधिकारी मंत्री की देखरेख में कार्य करेंगे।

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार सोसाइटीज बरेली मंडल, बरेली ★ उ०प्र० ★

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मण्डल बरेली (उ०प्र०)
16/6/2021

Barlow Educational Society ★ Bareilly

स. संस्था के कुल खर्च मंत्री की देखरेख में होंगे और मंत्री अनुमोदित करेंगे।

द. संस्था के कार्य के लिये समुचित प्रबन्ध मंत्री की देखरेख में होगा और वह करायेंगे।

क. सदस्यों व अन्य प्रशासनिक कार्यवाहियों का नियोजन मंत्री का दायित्व होगा।

ख. संस्था की कुल कार्यवाही की समीक्षा आयोजन मंत्री करें या करायेंगे और जो कुछ भी आवश्यक हो उसे करने कराने देखरेख का कुल अधिकार मंत्री का होगा।

ग. संस्था द्वारा या जनता पर कोई भी कार्यवाही हो उसको चलाने व चलवाने का दायित्व मंत्री करेगा।

घ. संस्था की ओर से सरकारी कार्यालयों अन्य संस्था व हर प्रकार की इकाइयों में मंत्री संस्था का प्रतिनिधित्व करेंगे।

च. संस्था के आय–व्यय का जो लेखा जोखा जो तैयार किया जावे वह मंत्री को अवगत कराया जायेगा।

छ. संस्था के कार्यालयों कागजात वही खाते व खातेजात इत्यादि मंत्री द्वारा निरीक्षित रहेंगे और मंत्री को दिन प्रति दिन अथवा समय समय पर जब वह चाहे सब कुछ देखने का अधिकार होगा।

ज. मंत्री संस्था द्वारा चालित समस्त स्कूल, महाविद्यालय, इंस्टीट्यूट व अन्य इकाइयों के प्रबन्धक भी होंगे।

झ. संस्था के मंत्री स्कूल/इकाई के मैनेजर/प्रबन्धक का दायित्व और अधिकार निम्नलिखित रहेगा।

  ट. संस्था द्वारा संचालित महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, स्कूल, इंस्टीट्यूट अस्पताल, नर्सिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल व अन्य इकाईयों के समस्त कर्मचारी अध्यापक व अन्य शिक्षक आदि व दफ्तर के कर्मचारी आदि अपने कार्य के लिये प्रबन्धक/मैनेजर को उत्तरदायी होंगे और मैनेजर द्वारा मुक्त/पदमुक्त होंगे।

  ठ. संस्था द्वारा संचालित महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, स्कूल, इंस्टीट्यूट अस्पताल, नर्सिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल व अन्य इकाईयों का अलग ब्योरा आय–व्यय और कार्य–व्यवहार का दफ्तर प्रबन्धक की देख रेख में कार्य करेगा। महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, स्कूल, अस्पताल, नर्सिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल व अन्य इकाइयों की समस्त आय–व्यय प्रबन्धक की देख रेख में रहेगी और उनकी कुल जाँच व दिशा निर्देश का अधिकार होगा।

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार समितियाँ बरेली मंडल, बरेली ★ उ०प्र० ★

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल बरेली (उ०प्र०)
16/6/2021

Tomorrow Educational Society ★ Bareilly

ड. संस्था के कुल कार्य व संस्था की इकाईयों की कुल कार्य का संचालन करना व कराना संस्था व उसकी इकाईयों की आवश्यकता की पूर्ति करना व कराना उस संस्था की अगली वार्षिक साधारण सभा में पेश किया जायेगा।

द संस्था में नये सदस्यों की सदस्यता पुष्टि मंत्री महोदय द्वारा की जायेगी।

य संस्था की सम्पत्ति को प्राप्त करना, बनाना व उसका उचित प्रबन्ध करना और इस सम्बन्ध में कार्य जरूरी हो उनका संचालन करना व कराना।

र. संस्था के खर्चों को स्वीकार करना, संस्था के सदस्यों के आपसी मत भेद तय करना व कराना।

ल. संचालित महाविद्यालय, विद्यालय, अस्पताल, नर्सिंग एवं अन्य इकाइयों के सुचारू रूप से संचालन एवं विस्तार तथा नये महाविद्यालय, विद्यालय, अस्पताल, नर्सिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल एवं अन्य इकाइयों की स्थापना हेतु संस्था के मंत्री को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से आवश्यकता के अनुसार किसी भी सीमा तक ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन एवं अन्य प्रक्रिया को अपने हस्ताक्षर द्वारा निष्पादित करें।

व. वित्तीय संस्थाओं में केवल मंत्री के ही हस्ताक्षर अधिकृत एवं मान्य होंगे तथा मंत्री की अस्वस्थता या किसी कारणवश शहर से बाहर होने की दशा में मंत्री के स्थान पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर भी अधिकृत एवं मान्य होंगे।

मंत्री की मृत्यु होने की स्थिति में, नये मंत्री के चयनित होने तक की अवधि में अध्यक्ष के हस्ताक्षर अधिकृत एवं मान्य होंगे।

07. 1. क. संस्था व उसकी इकाइयों को कुल कागजात, हिसाब किताब, खातेजात लेखा जोखा कार्यालयों में मंत्री के अधीन रखा जावेगा और मंत्री की अनुमति से प्रबन्धकारिणी सदस्यगण अवगत होते रहेंगे।

ख. संस्था का बैंक एकाउन्ट संस्था के नाम से चलाये जायेंगे जो मंत्री महोदय आपरेट करेंगे।

ग. संस्था की कोई अचल सम्पत्ति 3 चौथाई मतों द्वारा प्रबन्धकारिणी सभा से अनुमोदित होने पर हस्तांतरित की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मण्डल बरेली (उ०प्र०)
16/6/2021

Harrow Educational Society
Bareilly

घ. संस्था के कुल अधिकारी प्रबन्धकारिणी सभा सदस्यगण अवैतनिक कार्य करेंगे किन्तु अधिकारियों को संस्था के कार्य के लिये कुल आउट ऑफ पाकेट भत्ता खर्चा देय होगा।

च. संस्था पर या संस्था द्वारा कानूनी कार्यवाही होने की दशा में मंत्री द्वारा संस्था प्रतिनिधित्व होगी।

छ. संस्था के खातेजात लेखाजोखा कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त योग्य चार्टेड एकाउन्टेंट/आडीटरों द्वारा कराया जा सकेगा।

7. 2. क. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

ख. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ग. विद्यालयों में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

घ. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली/काउन्सिलिंग फार दि इंडियन स्कूल सार्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

ड. संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

च. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध करायें जायेंगे।

छ. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी।

ज. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार समितियां बरेली मं., बरेली ★ उ0प्र0 ★

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मण्डल, बरेली (उ0प्र0)
16/6/2021

Harrow Educational Society ★ Bareilly

झ. अनापत्ति प्रमाण दिये जाने के सम्बन्ध में शासन को आख्या एवं संस्तुति भेजते समय इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि सम्बन्धित संस्था के बाईलाज में उक्त प्रतिबन्धों को समाविष्ट किये जाने हेतु प्रबन्धकों की सहमति प्राप्त है और इसके लिये संस्था का विधिवत प्रस्ताव/रिज्यव्लूशन है। संस्था द्वारा सोसाइटी बाईलॉज में उक्त प्रतिबन्धों को समाविष्ट किये जाने हेतु वांछित कार्यवाही किये जाने के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से आदेश निर्गत किये जायेंगे। सोसाइटी के बाईलॉज में यह भी प्राविधान किया गया है कि उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

8\. क. संस्था के स्मृति पत्र के नियमों में परिवर्तन के लिये प्रबन्धकारिणी तथा विशेष बैठक आयोजित करके सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित होने पर परिवर्तन स्वीकार होने योग्य होगा और उसे संस्था की अगली वार्षिक साधारण सभा में पेश किया जायेगा।

ख. संस्था भविष्य में कभी किसी कारण विघटित हो अथवा विघटन आवश्यक हो जाये तो ऐसी दशा में कुल देनदारियो बेबाक कर चल व अचल सम्पत्ति की बकाया संस्था के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु मंत्री द्वारा वितरित कर दी जायेगी।

हम निम्नलिखित हस्ताक्षर कर्ता हैरो एजुकेशनल सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण की उपरोक्त संशोधित नियमावली अनुसार हैरो एजूकेशनल सोसाइटी के नाम से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 सन् 1860 के अन्तर्गत कराना चाहते हैं।

सत्यप्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार समितियाँ बरेली ... उ०प्र०
दि० ..4/2021

Harrow Educational Society Bareilly

सत्य प्रतिलिपि

16/6/2021

सहायक रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ बरेली मंडल ★ उ०प्र० ★

क्रमांक सं० I-69523

संस्था का नाम [illegible]

पंजीकृत किये गये आलेख [illegible]

आज दिनांक 09/6/2021 को सो० रजी० अधि० के अन्तर्गत फाइल कर लिए गये

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज़ चिट्स, बरेली